

राजस्थान सरकार  
परिवहन विभाग

क्रमांक:- एफ.6(262)परि/कर./मु./2007 / 599-610

जयपुर, दिनांक: 12/10/2015

कार्यालय आदेश ...1.../2015

कुछ वाहन निर्माताओं द्वारा ऐसे उपस्कर यानों एवं डम्प ट्रक्स का विनिर्माण किया गया है जिनका उपयोग खदान क्षेत्रों एवं औद्योगिक इकाइयों के सीमित परिसरों में किया जाता है। इन यानों का परिमाण केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 93 में विनिर्दिष्ट परिमाणों से अधिक होने के कारण इनको केन्द्रीय जांच ऐजेन्सियों द्वारा नियम 126 में आवश्यक प्रोटोटाइप जारी नहीं किया जा सकता है। परिणाम स्वरूप पंजीयन प्राधिकारियों द्वारा ऐसे यानों का पंजीयन नहीं किया जा सकता है।


राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत राज्य सरकार को किसी प्रकार के वाहन पर कर आरोपित करने की शक्तियां प्राप्त हैं। अतः राजस्थान मोटरयान कराधान नियम, 1951 संशोधन कर नियम 2(P) के अन्तर्गत इन "Purely-off highway vehicle" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :-

"Purely-off highway vehicle means a motor vehicle either used as a construction equipment or designed and adapted for use in any enclosed premises, factory or mine, equipped to travel on its own source of power."

इस प्रकार के वाहन निर्माण उपस्कर के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनको गैर परिवहन यान के लिये संदेय एक बारीय कर से आरोपित किया जाना है। राजस्थान मोटर यान कराधान नियम, 1951 के नियम 4 A(i)(a) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार ऐसे वाहनों के क्रय या राज्य में आगमन के 30 दिवस की कालावधि में कर संदेय योग्य होता है। अतः नियमों के अन्तर्गत इन "Purely-off highway vehicle" पर कर आरोपण किया जाकर वसूली की जावे।

प्रत्येक वाहन के लिये जमा किये गये कर के विवरण का रखरखाव यथोचित तरीके से किया जाना है। कर के लिये जारी की जाने वाली रसीद पर ऐसे वाहनों का चैसिस नंबर/सीरियल नंबर या अन्य कोई सहज दृश्य स्थायी प्रकृति का चिन्ह या क्रमांक तथा कंपनी का नाम उल्लेखित किया जाये ताकि वाहन के कर अदायगी की सटीक एवं पुष्ट जानकारी उपलब्ध रहे।

इन वाहनों द्वारा केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अध्याय V में वर्णित अर्हताओं यथा कुल परिमाण, यान पर लगाने वाले उपकरण एवं अवयव, उत्सर्जन मानक आदि की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण इस अध्याय के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे।

  
(गायत्री राठौड़)  
परिवहन आयुक्त एवं  
शासन सचिव



क्रमांक:- एफ.6(262)परि/कर./मु./2007 / 599-610 जयपुर,दिनांक: 12-01-2011  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं शासन सचिव।
4. समस्त अधिकारीगण, परिवहन मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त अपर परिवहन आयुक्त, जोन।
6. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
7. समस्त संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त (प्रवर्तन)।
8. समस्त कराधान/जिला परिवहन अधिकारी।
9. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

6

अपर परिवहन आयुक्त(कर)